| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 11/7/17 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प खडात मे पेश।<br>उभय पक्ष अनुपस्थित।<br>प्रकरण मे वादी द्वारा मौजा खडात के खसरा नंबर 58 से 65, 71 से 79 कुल किता 16 कुल रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा मे प्रतिवादी सं. एक गोपाल दास पुत्र गुलाब दास के हिस्से की कृषि भूमि मे से 02 बीघा कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय की है।<br>कैम्प खडात मे नायब तहसीलदार आबूरोड, भू0अ0 निरीक्षक आबूरोड, पटवारी खडात की रिपोर्ट एवं जाति प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिवादी सं. एक गोपाल दास पुत्र गुलाब दास नि0 सरतोली रैदास जाति समुदाय से है जो अनुसूचित जाति वर्ग मे आते है। जबकि वादी भारताराम पुत्र प्रभुराम जाति रेबारी अन्य पिछड़ा वर्ग से है।<br>राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 42 अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति के अलावा अन्य समुदाय के सदस्य को कृषि भूमि का विक्रय दान और वसीयत नही कर सकता है।<br>उक्त प्रकरण मे राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः वादी का वाद परिपोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>**सहायक कलेक्टर**<br>**आबूपर्वत (सिरोही)** | |

Scanned by CamScanner